

# कार्यालय .....

क्रमांक :-

दिनांक :-

## कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.6(5)FD(RULES)/2009 जयपुर दिनांक 18-10-2019 की अनुपालना में इस संस्था में कार्यरत निम्न अराजपत्रित कर्मचारी को जो 01 अप्रैल 2019 को राजकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत थे तथा Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules 2017 में पे-मैट्रिक्स के अनुसार लेवल L-12 या इससे कम में अथवा Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules 2008 में ग्रेड-पे 4800 या इससे कम में वेतन आहरित कर रहे थे। इनको वित्तिय वर्ष 2018-19 हेतु तदर्थ बोनस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

नोट :-

- (1) इस बिल की राशि का भुगतान पूर्व में आहरित नहीं किया गया है।
- (2) इस बिल में किसी भी राज्य सेवा के अधिकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- (3) बिलाकित सभी कर्मचारी ग्रेड पे लेवल 12 या इससे कम में वेतन आहरण कर रहे हैं।
- (4) बिलाकित समस्त कर्मचारी 31.03.2019 को सेवा में थे। एवं 01.04.2019 तक जारी हैं।
- (5) बिलाकित समस्त कर्मचारी वर्ष 2018-19 निरन्तर योग्य सेवा 6 माह से कम नहीं है।
- (6) बिलाकित कोई भी कर्मचारी 31.03.2019 को निलम्बित प्रकरण पर नहीं रहा है एवं कोई भी कर्मचारी अंशकालीन, अर्द्धवेतन वेतनभोगी, अनुबन्ध प्रोबेशन ट्रेनी फिक्स पर नहीं है।
- (7) बिलाकित समस्त कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 बोनस आदेश जारी करने की तिथि 18.10.2019 को इस कार्यालय में कार्यरत है एवं वर्तमान में भी इसी कार्यालय में कार्य कर रहा है।

क्र.स.	नाम कार्मिक	पद	31 मार्च 2019 को आहरित वेतन	पे-मैट्रिक्स के अनुसार लेवल	बोनस राशि
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<b>कुल राशि का योग</b>					

प्रधानाचार्य

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय .....

प्रतिलिपि -

1. श्रीमान् उपकोषाधिकारी .....
2. संबंधित कर्मचारी पत्रावली प्रति।
3. संबंधित श्री.....।
4. कार्यालय प्रति।

प्रधानाचार्य

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय .....